

हेतु दिनांक 12/11/2021 को पेश हो।

12/11

12/11/2021

मिशन पेश। वरिष्ठ वाइस प्रिंसिपल कार्यालय पर अन्तर्गत आदेश 23 दिनांक 1 व 15/11/2021 का पेश कर बाद पर अन्तर्गत धारा 88 RTI का फोरमल डिफेक्ट रह जाने के बाद उक्त वादपर को विद्वे कर नया वादपर प्रस्तुत करने का आदेश सुरक्षित रखले हुए विद्वे की आबुगानि जारी। अतः उक्त वादपर को पुनः जांच कर उचित विचार एवं वाद के वादपर को उचित वादपर प्रस्तुत करने का आदेश सुरक्षित रखले हुए अतः उक्त विचारित विचार जारी है।

पत्रावली के मात शुभा (एक जगल के काल)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

गापुर जिला भीलवाडा (राज.)

